रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252917
CG-DL-E-13032024-252917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1203]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1265(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), इस विभाग के स्वायत्त निकायों के राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रही है जिसे नौ राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् (i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली (ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक (iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता (iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई (viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और (ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

और इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं/प्रसुविधा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) विद्यमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दिए जाते हैं;

और इस स्कीम में आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य राहत, सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को प्रसुविधा दी जाएगी, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु, कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से लाभ प्रदान करने के लिए उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधा दी जा सकती हैं, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने देय लाभों से वंचित न हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में लागू होगी ।

[फा. सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1265(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department), in the Government of India is administering Support to National Institutes (hereinafter referred to as the Scheme) to autonomous bodies of this Department , which is being implemented through the nine National Institutes namely (i) Pandit Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities, New Delhi (ii) Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack (iii) National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata (iv) National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun (v) Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Mumbai (vi) National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities , Secunderabad (vii) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai (viii) Indian Sign Language Research and Training Centre, Delhi and (ix) National Institute of Mental Health Rehabilitation, Sehore (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme other Services/ Benefits extended to the Persons with Disabilities (Divyangjan) according to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred to as the benefits) is given to the Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or post office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration card; or

(v) Voter identity card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or

(vii) Kisan photo passbook; or

(vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department, through its Implementing Agency, shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administration.

[F.No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. RAVINDER KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252918
CG-DL-E-13032024-252918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1204] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1204] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1266(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), इस विभाग के स्वायत्त निकायों के राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) चला रहा है जिसे नौ राष्ट्रीय संस्थानों नामत: (i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली (ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक (iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता (iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई (viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और (ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है;

और इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं या प्रसुविधा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) इस स्कीम और इसके अधीन जारी

विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार दिव्यांगजनों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा दिए जाते हैं;

और इस स्कीम के कार्यान्वयन में आवर्ती व्यय सम्मिलित है, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य, सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसी बालक (अठ्ठारह वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजन) को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्री करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स सूचना के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक, अर्थात्-

i. जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

ii. विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम दिए गए हों; और

(ग) वर्तमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से लाभ प्रदान करने के लिए उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधा वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि प्रमाणीकरण के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के प्रमाण को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लेख किए गए अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखा परीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी ।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में लागू होगी ।

[फा.सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1266(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department), in the Government of India is administering the Support to National Institutes (hereinafter referred to as the Scheme) to autonomous bodies of this Department, which is being implemented through the nine National Institutes namely (i) Pandit Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities, New Delhi (ii) Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack (iii) National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata (iv) National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities,Dehradun (v) Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Mumbai (vi) National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities,

Secunderabad (vii) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai (viii) Indian Sign Language Research and Training Centre, Delhi and (ix) National Institute of Mental Health Rehabilitation, Sehore (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme other Services or Benefits extended to the Persons with Disabilities (Divyangjan) according to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred to as the benefits) is given to the Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agencies as per the Scheme and extent guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child (persons with disabilities who are below the age of eighteen years) desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided such child is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department, through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administration.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.03.13 13:30:22 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252948
CG-DL-E-14032024-252948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1197] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1197] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1259(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) एक केंद्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों, राज्य दिव्यांग विकास निगमों, अन्य स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

और, इस स्कीम के अधीन, मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान किए जाते हैं;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

और, इस विभाग ने पूर्व में तारीख 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्याक का.आ. 711(अ) (एफ.सं.4-2(32)/2016-डीडी-I) के द्वारा सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) के लिए आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में अधिसूचित किया है;

अब, इसलिए, तारीख 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 711 (अ) (एफ.4-2(32)/2016/डीडी-1) के अधिक्रमण में, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्मित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है: अर्थात् -

1. (क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा ;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्टि पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु कि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान दस्तावेज; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण दस्तावेज; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के साथ-साथ फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार दस्तावेज के आधार पर प्रसुविधाएं दी जा सकती हैं, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार दस्तावेज पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार फायदाग्राही अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष प्रसुविधा हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी -26011/ 04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद रखरखाव (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1259(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP) as a Central Sector Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) wherein durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances are provided to eligible Persons with Disabilities implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India(ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organisations(hereinafter referred to as the implementing agencies)

And whereas, under the Scheme, Aids and assistive devices are provided (hereinafter referred to as benefits) is given to eligible persons with disabilities (hereinafter referred to as beneficiaries) as per the extant scheme guidelines ;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department has earlier notified Aadhaar as an identity document for Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP) vide Notification No. S.O. 711(E) dated 3rd March, 2017 (F.No.4-2(32)/2016-DD-I);

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O.711 (E) dated 3rd March, 2017 (F.No.4-2(32)/2016/DD-I), in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely:

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having a photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letterhead; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, an iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in a seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of a physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.14 00:47:34 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252909
CG-DL-E-13032024-252909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1198] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1198] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1260(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) एक केंद्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों, राज्य दिव्यांग विकास निगमों, अन्य स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

और इस स्कीम के अधीन, मौजूदा स्कीम और तद्धीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा पात्र दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है);

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी बालक से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन करवाए;

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है, और ऐसा बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं होने की दशा में, मंत्रालय या विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन रहते हुए इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को प्रसुविधाएं दी जाएंगी अर्थात्:-

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात् नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स संग्रहण के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्-

i. जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या

ii. विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम अंतर्विष्ट है; और

(ग) वर्तमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी कुटुंब पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;

(ग) बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं होने की दशा में, स्कीम के अधीन प्रसुविधा वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के सबूत को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसके अनुरक्षण के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और संपरीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी ।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1260(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP) as a Central Sector Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) wherein durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances are provided to eligible Persons with Disabilities implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India(ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organisations(hereinafter referred to as the implementing agencies)

And whereas, under the Scheme, Aids and assistive devices are provided (hereinafter referred to as benefits) is given to eligible persons with disabilities (hereinafter referred to as beneficiaries), by the implementing Agency as per the Schemes and extant guidelines issued thereunder ;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

i. Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

ii. School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) any one of the following documents as proof of the relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry/Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, an iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in a seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of a physical Aadhaar

letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where the benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.03.13 13:44:39 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252945
CG-DL-E-14032024-252945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1199] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1199] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1261(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति मे उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता हैं।

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), का जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम का संचालन कर रहा है और यह पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण और पुनर्वास जागरूकता सृजन हेतु जिला स्तर में अवसंरचना और क्षमता निर्माण को सुकर बनाता है जिसे जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अधिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और इस स्कीम के अधीन, वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यष्टिक फायदाग्राहियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं और पुनर्वास पर जागरूकता सृजन और पुनर्वास वृत्तिकों का प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) की सेवाएं दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को प्रदान की जाती है;

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतवर्लित हैं;

और इस विभाग ने पूर्व में 27 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 22-336 (53)/2017-डीडीआरसी के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के लिए आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में अधिसूचित किया था;

इसलिए, अब दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के अधिसूचना सं. का.आ. 1342 (अ.) [फा.सं. 22-336(53)/2017-डीडीआरसी] के अधिक्रमण में और आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: –

1. (क) स्कीम के धीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यष्टि को अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यष्टि आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन, विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण (यू आई डी आई ए) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु कि जब तक ऐसे व्यष्टि को आधार नियत नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अध्यधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड (मनरेगा); या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और, कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिद्रिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

3. उन सभी दशाओं में, फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन की सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के साथ-साथ फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधाएं दी जा सकती हैं, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार फायदाग्राही अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष प्रसुविधा हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या घ - 26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद रखरखाव (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1261(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administeringa Central Sector Scheme namely District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) (hereinafter referred to as the Scheme) to provide comprehensive rehabilitation services at the grassroot level and also it facilitates creation of infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation on rehabilitation and training of rehabilitation professionals, which is being implemented through District Management Team (DMTs) (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas, under the scheme, comprehensive rehabilitation services are provided to the individual beneficiaries and the services of awareness generation on rehabilitation and the training of rehabilitation professionals (hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department had earlier notified Aadhaar as an identity document for District Disability Rehabilitation Centre (DDRC), for Persons with Disabilities vide Notification No. 22-336(53)/2017-DDRC dated 27th April, 2017;

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O. 1342 (E) dated 27th April , 2017 [F. No. 22-336(53)/2017-DDRC] and in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies, the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.14 00:54:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252944
CG-DL-E-14032024-252944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1200]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1262(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम का संचालन कर रहा है और यह पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण और पुनर्वास जागरूकता सृजन हेतु जिला स्तर में अवसंरचना और क्षमता निर्माण को सुकर बनाता है जिसे जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और इस स्कीम के अधीन, वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यष्टिक फायदाग्राहियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं और पुनर्वास पर जागरूकता सृजन और पुनर्वास वृत्तिकों को प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) की सेवाएं दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को प्रदान की जाती है;

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु बालक को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बालक किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन (अपडेट)) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित कोई आधार नामांकन अवस्थित नही है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी आई ए) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु यह कि जब तक बालक को आधार नियत नहीं हो जाता तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अध्यधीन होने के रहते हुए, इस स्कीम के अधीन ऐसे बालक को प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात्–

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात् (बायोमेट्रिक्स संग्रह के साथ) नामांकित किया गया था तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) जन्म-प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या

(ii) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा स्म्यक्त: हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें अभिभावक के नाम अंतर्विष्ट हैं; और

(ग) वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:–

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी कुटुंब पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा के परिदान के लिए फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, यथास्थिति किए जाएंगे;

(ग) जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं होने की दशा में, स्कीम के अधीन प्रसुविधा वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अब स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के सबूत को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसके अनुरक्षण के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और संपरीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी ।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत होगी ।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1262(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administering a Central Sector Scheme namely District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) (hereinafter referred to as the Scheme) to provide comprehensive rehabilitation services at the grass root level and also it facilitates creation of infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation on rehabilitation and training of rehabilitation professionals, which is being implemented through District Management Team (DMTs) (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas, under the scheme, comprehensive rehabilitation services are provided to the individual beneficiaries and the services of awareness generation on rehabilitation and the training of rehabilitation professionals

(hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), by the implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.14 01:00:01 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252956
CG-DL-E-14032024-252956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1201]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1263(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केंद्रीय क्षेत्रक योजना चला रहा है जिससे दिव्यांगजनों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन किया जा सके इस योजना को स्वैच्छिक संगठन या गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है ।

और जबकि, इस स्कीम के अधीन, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें विशेष शिक्षा, प्रारंभिक हस्तक्षेप, हाफ - वे होम आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) शामिल हैं।

और इस स्कीम में आवर्ती व्यय शामिल हैं जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है;

और इस विभाग ने पूर्व में तारीख 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 22-33 (02)/2017-डीडी-II/V के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के लिए एक पहचान पत्र के रूप में आधार को अधिसूचित किया था;

अत: तारीख 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं का.आ. 1135 (अ) [एफ. संख्या 22-33(02)/20170-डीडी-II/V] के अधिक्रमण में और आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्-

1. (क) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को एतद्द्वारा अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान अर्थात :

परन्तु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के आधीन ऐसे व्यक्ति को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात् :-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के आधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु उपरोक्त दस्तावेजों को उस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. इस स्कीम के आधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, निर्बाध तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर लाभ दिए जा सकते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन के तहत कोई भी ईमानदार लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1263(E).— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administeringa Central Sector Scheme namely Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS)(hereinafter referred to as the Scheme) to create an enabling environment to ensure equal opportunities, equity, social justice and empowerment of persons with disabilities, and encourage voluntary action for ensuring effective implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which is being implemented through Voluntary Organisation or Non-Government Organisations (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas,under the scheme, variety of services include special education, early intervention, half way homes etc. (hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), as per the extant Schemes guidelines;

And whereas, the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department had earlier notified Aadhaar as an identity document for Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS), for Persons with Disabilities vide Notification No. 22-33(02)/2017-DD-II/V dated 31stMarch, 2017;

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O. 1135 (E) dated 31st March, 2017 [F. No. 22-33(02)/20170-DD-II/V] and in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies, the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.14 00:02:09 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252955
CG-DL-E-14032024-252955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1202]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1202]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1264(अ).—सेवाओं या लाभों या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग सरकारी सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम, जिसे स्वैच्छिक संगठन या गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है, चला रहा है, ताकि दिव्यांगजनों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन किया सके।

और इस स्कीम के अंतर्गत, स्कीम और उसके अधीन जारी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को विशेष शिक्षा, प्रारंभिक हस्तक्षेप, हॉफ वे होम आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

और इस स्कीम के कार्यान्वयन में आवर्ती व्यय शामिल है, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता हैं;

अत: अब, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसी बालक को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा;

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा बच्चा आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परन्तु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के आधीन ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि लाभार्थी को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स सूचना के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;

(ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) लाभार्थी के निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) (विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम दिए गए हों; और

(ग) वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी संरक्षक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु, उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के आधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से प्रमाणीकरण सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, निर्बाध तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए फिंगर-प्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे से प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन लाभ वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बच्चा इस स्कीम के अधीन लाभ से वंचित नहीं होगा, यदि प्रमाणीकरण के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के प्रमाण को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लेख किए गए अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे लाभ प्रदान किया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया जाता है, वहां उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखा परीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की जाएगी।

5. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1264(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administeringa Central Sector Scheme namely Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS)(hereinafter referred to as the Scheme) to create an enabling environment to ensure equal opportunities, equity, social justice and empowerment of persons with disabilities, and encourage voluntary action for ensuring effective implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which is being implemented through Voluntary Organisation or Non-Government Organisations (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas, under the scheme, variety of services include special education, early intervention, half way homes etc. (hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), by the implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.14 00:06:00 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252916
CG-DL-E-13032024-252916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1205] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1267(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) ऑटिज्म, प्रमस्तिस्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में स्वास्थ्य बीमा स्कीम (निरामया- स्वास्थ्य बीमा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) चला रहा है, जिसे देश भर में अपने रजिस्ट्री संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है;

और इस स्कीम के अधीन, मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन शामिल किए गए दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को एक किफायती स्वास्थ्य बीमा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान किया जाता है;

और इस स्कीम में आवर्ती व्यय सम्मिलित हैं, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य, सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1 .(क) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्री करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को प्रसुविधा दी जाएगी, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखितदस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकता है।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे के (फेस) अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा से लाभ प्रदान करने के लिए उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे के (फेस) प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधा दी जा सकती हैं ,जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया) क्यूआर (कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने देय लाभों से वंचित न हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी ।

[फा.सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1267(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Health Insurance Scheme (Niramaya- Health Insurance) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through its Registered Organisations across the country (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, an affordable health insurance (hereinafter referred to as the benefits) is given to persons with disabilities covered under the National Trust Act (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the extend Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or post office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration card; or

(v) Voter identity card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or

(vii) Kisan photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department, through its Implementing Agency, shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administration.

[F.No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.03.13 13:39:11 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252953
CG-DL-E-14032024-252953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1206] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1268(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और फायदाग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है ;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) ऑटिज्म, प्रमस्तिस्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में स्वास्थ्य बीमा स्कीम (निरामया- स्वास्थ्य बीमा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) चला रहा है, जिसे देश भर में अपने रजिस्ट्री संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है;

और इस स्कीम और इसके अधीन जारी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन सम्मिलित किए गए दिव्यांगजनों, जो 18 वर्ष से कम आयु के है (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) को एक किफायती स्वास्थ्य बीमा स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान किया जाता है ।

और इस स्कीम के कार्यान्वयन में आवर्ती व्यय सम्मिलित है, जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार) वित्तीय और अन्य, सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान (अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

.1(1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसी बालक (18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजन) को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्री करने से पहले अपने माता-धीनपिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यआधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) यूआईडीएआई (वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है (पर जाएगा ;

(3) आधार) नामांकन और अद्यतन (विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को प्रसुविधा दी जाएगी, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्-:

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था) बायोमेट्रिक्स सूचना के साथ(, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक, अर्थात्:-

i. जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

ii. विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम दिए गए हों; और

(ग) वर्तमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन लाभ वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया) क्यूआर (कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के प्रमाण को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा के 1 (ख) के परंतुक के खंड (3) पैरा-उपऔर वेजों के आधार पर उसकी पहचान दस्तागए अनुसार अन्य ख किएमें उल्ले (ग) पित करते हुए उसे लाभ प्रदान किया जाएगासत्या और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखा परीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वियन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1268(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Health Insurance Scheme (Niramaya- Health Insurance) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through its Registered Organisations across the country (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, an affordable health insurance (hereinafter referred to as the benefits) is given to the persons with disabilities covered under the National Trust Act who are below the age of 18 years (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the Scheme and extend guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child (persons with disabilities who are below the age of 18 years) desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided such child is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and that child shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry/Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, benefits under the Scheme shall be given to such child, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the principal of the school, containing parents' names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry/Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department, through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Ministry/Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administration.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252934
CG-DL-E-13032024-252934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1207] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ.1269(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा आवासीय स्कीम (समर्थ-राहत, घरौंदा – व्यस्कों के लिए, सामूहिक गृह और समर्थ सह घरौंदा स्कीम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में संपूर्ण देश में अपने रजिस्ट्रीकृत संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है;

और, इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय न्यास विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है जैसे अनाथ या परित्यक्त, संकटग्रस्त परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के दिव्यांगजनों और निराश्रित और वरिष्ठ दिव्यांगजनों आदि सहित निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत गृह सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) (स्कीम के अनुसार राष्ट्रीय न्यास

अधिनियम के अधीन कवर किए गए दिव्यांगजनों जैसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दी जाती है और इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तार किया जाता है;

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: –

1. (क) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपने आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यष्टि आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) यूआईडीएआई (वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है (पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन (अपडेट) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआईडी) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु कि जब तक ऐसे व्यष्टि को आधार नियत नहीं हो जाता, स्कीम के अधीन फायदे ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दिए जाएंगें, अर्थात्-:

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, नामत :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या) पैन (कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से फायदा प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी दशाओं में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –

(क) खराब अंगुली छाप क्वालिटी की दशाओं में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे के (फेस) अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग, अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से फायदा प्रदान करने के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) अंगुलीछाप या आईरिस स्कैन या चेहरे के (फेस)अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में जहां भी साध्य और ग्राह्य हो, सीमित समय विधिमान्य वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, जैसा भी मामला हो, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन साध्य नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल)आधार पत्र के आधार पर फायदे दिए जा सकते हैं ,जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया) क्यूआर (कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार फायदाग्राही अपने देय फायदों से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अधिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष फायदा अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या घ-26011/04/2017-डीबीटी में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1269(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and Multiple Disabilities, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Residential Scheme (Samarth - Respite Care, Gharaunda - Group Home for Adults and Samarth cum Gharaunda Scheme) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through its Registered Organisations across the country (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the National Trust is providing various services like respite home services for orphans or abandoned, families in crisis and for Divyangjan from Below Poverty Line and Lower Income Group families including destitute and group home services to Adults Divyangjans etc. (hereinafter referred to as the benefits) is given to persons with disabilities covered under the National Trust Act (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the Scheme and extend guidelines issued their under;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or post office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration card; or

(v) Voter identity card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or

(vii) Kisan photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department, through its Implementing Agency, shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.13 19:58:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252958
CG-DL-E-13032024-252958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1208] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1208] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ.1270(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा आवासीय स्कीम (समर्थ-राहत, घरौंदा – व्यस्कों के लिए, सामूहिक गृह और समर्थ सह घरौंदा स्कीम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में संपूर्ण देश में अपने रजिस्ट्रीकृत संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है;

और, इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय न्यास विभिन्न सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) प्रदान कर रहा है जैसे अनाथ या परित्यक्त, संकटग्रस्त परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के दिव्यांगजनों और निराश्रितों आदि सहित निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन कवर किए गए दिव्यांगजनों (जिसे इसमें

इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दिया जाता है जो अठारह वर्ष से कम आयु के है और इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तार किया जाता है;

और जबकि, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, फायदा और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक बालक को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु ऐसा बालक उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो और वह बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अपने विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु ऐसे बालक को आधार सौपें जाने तक, स्कीम के अधीन फायदे ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दिए जाएंगें:-

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स कलेक्शंस के साथ), उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) जन्म-प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; या

(ii) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम होते हैं; और

(ग) वर्तमान स्कीम मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:–

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अनुसार हितग्राहियों को सुविधाजनक रूप से फायदा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी दशाओं में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) खराब अंगुली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से फायदा प्रदान करने के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) यदि अंगुलीछाप या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहां भी साध्य और ग्राह्य हो, यथास्थिति, सीमित समय विधिमान्यताओं के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया) क्यूआर (कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन फायदे से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के सबूत को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा के 1 उपपैरा (ख) के परंतुक के खंड (3) और खंड में (ग)यथाउल्लिखित अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे फायदा प्रदान किया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर फायदा दिया जाता है, वहां उसे अभिलिखित करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी पुनर्विलोकन और लेखा परीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी ।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1270(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Residential Scheme (Samarth - Respite Care) and Samarth cum Gharaunda Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme, which is being implemented through its Registered Organisations across the country (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme, the National Trust is providing various services like respite home services for orphans or abandoned, families in crisis and for Divyangjan from Below Poverty Line and Lower Income Group families including destitute etc. (hereinafter referred to as the benefits) is given to persons with disabilities covered under the National Trust Act who are below the age of eighteen years (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the Scheme and extend guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided such child is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and that child shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, benefits under the Scheme shall be given to such child, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department, through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry/Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.13 23:55:07 +05'30'